न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/233/2018

उनवान

1. लादी देवी पत्नी मोहन लाल रेगर, निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. सुवा पिता छीतर रेगर, निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. राम लाल पिता मांगु रेगर, निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
3. दुर्गा पिता मांगु रेगर, निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
4. दुर्गा पिता नाथू रेगर, निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
5. रामकरण पिता नाराण रेगर, निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
6. भैरू पिता देवा रेगर, निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
7. रामनिवास पिता लक्ष्मण रेगर, निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
8. हजारी पिता किशना रेगर, निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
9. छगन पिता मांगु रेगर, निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
10. छोटू पिता मांगू रेगर, निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
11. सज्जन सिंह पिता भुर सिंह चारण निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
12. जिला कलक्टर , जिला कार्यालय भीलवाडा
13. राजस्थान राज्य जरिय तहसीलदार कोटडी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, कोटडी के प्रकरण संख्या 50/2016 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.5.2018

अधिवक्तागण :—

1. श्री जे के जैन, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री कमलेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण
2 श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 29.5.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीया/वादीया ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पारोली पटवार हल्का पारोली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पारोली तहसील कोटडी की वर्तमान जमाबंदी संवत 2071 से 2073 के अनुसार आराजी संख्या 1081/1 रकबा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 1081/2 रकबा 01 बिस्वा गैर मुमकिन आता चाह , आराजी नम्बर 1082/3 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 1083/1 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि वादिया के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर वादिया के कब्जेकाश्त में है। उक्त जमीन का लगान भी राज्य सरकार में वादिया जमा कराती चली आ रही है एवं उक्त भूमि को शांतिपूर्वक वादिया अपने उपयोग उपभोग में लेती चली आ रही है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजियात से किसी प्रकार का कोई वास्ता एवं संबंध नहीं है एवं न ही प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का हक व अधिकार है । किन्तु प्रतिवादीगण आपराधिक किस्म के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

होकर गांव में एक गिरोह बना रखा है। जो आस–पास के इलाके के खेतों में जा जाकर फसलों को नष्ट करके व जबरन कब्जा करने की फिराक में रहते है एवं प्रतिवादीगण काफी बलशाली है एवं उनको यह जानकारी है कि खातेदार एक कमजोर कृषक है इसका फायदा उठाकर प्रतिवादीगण वादिया की खातेदारी की आराजी नम्बर 1081/2 रकबा 1 बिस्वा गैर मुमकिन आता चाह में बिना किसी अधिकार के आये दिन दखलन्दाजी करते रहते हैं। खातेदार द्वारा प्रतिवादीगण को बार–बार मना करने पर भी प्रतिवादीगण आराजी संख्या 1081/2 रकबा 1 बिस्वा गैर मुमकिन आता चाह के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा पैदा करते रहते हैं जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। सभी प्रतिवादीगण उक्त आता चाह (कुई) पर अपना हक जताते हुए जबरन गांव में शांति भंग करने की नियत से उक्त गैर मुमकिन आता चाह को सामुहिक समाज की बताते हैं और आये दिन ऐन केन प्रकारेण उक्त गैर मुमकिन आता चाह पर कब्जा करने की नियत से मेरे व मेरे परिवार के सदस्यों के साथ विवाद करते हैं। प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के परिवार के सदस्य उक्त आता चाह का जबरन उपयोग कर खुले में नहाते धोते है, जबरन महिलाएं गन्दे कपडे धोने, बच्चों के शोच के कपडों को जबरन धाने, नहाने धाने, खुले में शोच करने के बाद शोच को साफ करने आदि गलत कार्यों के लिए वादिया के गैर मुमकिन आता चाह का उपयोग पर आमादा रहते हैं। वादिया द्वारा प्रतिवादीगण को व उनके परिवार के सदस्यों को कई बार समझाया कि उक्त कुए का पानी पीने के लिए काम में आता है, पशुओं के पो भरने के काम में आता है और पानी अच्छा है इसको खराब नहीं करो इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण जबरन लठ के बल पर बिना किसी हक अधिकार के जबरन कब्जा कर पानी को पीने लायक नहीं रखने पर आमादा है और जबरन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण अपने आपको गांव व समाज का पंच पटेल बताते हुए उक्त गैर मुमकिन आता चाह के स्वामित्व व हक अधिकार जताने व मालिकाना हक जताने की नियत से मेरे पूरे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया जिसकी घोषणा दिनांक 28.1.2016 को पूरे समाज के कर दी । मेरे परिवार के साथ 1100/—रूपये जुर्माना का आदेश जारी कर दिया व वादिया व वादिया के पूरे परिवार को भयभीत कर वाद पत्र में वर्णित सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजियात व गैर मुमकिन आता चाह को खुर्द बुर्द व उसके स्वरूप को बिगाडने पर आमादा है। जिसकी सूचना समय—समय पर पुलिस थाने पर भी दी जिसके विरोध स्वरूप उक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 ने गांव के उपसरपंच प्रतिवादी संख्या 11 के नैतृत्व में बिना किसी अधिकार के वादिया को डराने धमकाने की नियत से प्रतिवादी संख 12 व 13 के यहॉ झूंठी झूंठी बेबुनियाद रिपोर्ट देकर जबरन पटवारी गिरदावर को दबाव में लेकर अलग—अलग पर्चा मौका बनाने पर आमादा है । दिनांक 11.3.2016 को भी जबरन गांव वाले इकट्ठा होकर वादिया की वादग्रस्त कृषि भूमि पर आये व गैर मुमकिन आता चाह व आराजी को खुर्द बुर्द करने के लिए बिना मेरी उपस्थिति के अवैध रूप से नाप—चोप किया जहो प्रारंभ से वादिया के मुकाबले शून्य प्रभावी है । इन सभी कारणों से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। अतः बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी पारित की जावे कि ग्राम पारोली पटवार हल्का पारोली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पारोली तहसील कोटडी की वर्तमान जमाबंदी संवत 2071 से 2073 के अनुसार आराजी संख्या 1081/1 रकबा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 1081/2 रकबा 01 बिस्वा गैर मुमकिन आता चाह , आराजी नम्बर 1082/3 रकबा 6 बिस्वा, आराजी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नम्बर 1083/1 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें एवं न ही मौके पर किसी प्रकार से कब्जा करने का प्रयास करें, न अन्य व्यक्तियों से करावे। किसी प्रकार से खुर्द बुर्द न करें न ही राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करें।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने साथ यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीया/वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर अपीलार्थीया की खातेदारी की आराजी संख्या 1801/2 रकबा 1 बिस्वा गैर मुमकिन आता चाह के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण/रेस्पोडेण्ट्स बाधा उत्पन्न नहीं करें, दखलन्दाजी नहीं करे इस हेतु उनको स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का अनुतोष चाहा था। वादग्रस्त आता चाह वादिया की खातेदारी की भूमि ग्राम पारोली स्थित आराजी नम्बर 1081/1 रकबा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 1082/3 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 1083/1 रकबा 3 बिस्वा जो किं आता चाह नम्बर 1081/2 से सिंचित होने का कथन किया था। उक्त आता चाह को वादिया द्वारा श्रम एवं हजारों रूपये लगाकर खोदा गया था। इस प्रकार यह आता चाह वादिया के हक अधिकार की होकर वादिया की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खातेदारी मे दर्ज है। उक्त आता चाह अपीलार्थीया के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में दिनांक 11.3.2016 की भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी की मौका रिपोर्ट एवं दिनांक 2.5.2018 की पटवार हल्का की रिपोर्ट को आधार बनाकर उक्त आता चाह को यह मानकर कि वादग्रस्त आता चाह वादिया के खाते में नहीं होना सिद्ध होता है यह मानकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । जबकि राजस्व रेकार्ड जमाबंदी अपीलार्थीया ने प्रस्तुत की है। मात्र कयास के आधार पर एवं अवैधानिक एव गैर तरीके से तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर जो कि अपीलार्थीया की अनुपस्थिति में तैयार की गई है । उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय किसी प्रकार का नाप–चौप नहीं किया गया है। जबकि मुस्तकिल बिन्दु से नाप करना चाहिये था। अवैधानिक रूप से तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। जो खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि पटवारी हल्का ने वादग्रस्त कुई को बिलानाम आराजी नम्बर 1529 में खुदा होना बताया है। इस प्रकार उक्त आता चाह/कुई को सार्वजनिक साबित करना चाह रहे है। जबकि उक्त कुई अपीलार्थीया के खातेदारी की होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

6. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा 2018 कैम्प पारोली में पारित किया गया है । लोक अदालत में आपसी राजीनामा होने की स्थिति में निर्णय पारित किया जाता है। अपीलार्थीया ने कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया है।

7. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि जिला कलक्टर (भू0अ0) भीलवाडा ने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उपनिबन्धक महोदय (भू0अ0) राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर को जो रिपोर्ट दिनांक 2.12.2017 को जो रिपोर्ट प्रेषित की है उसमें तहसीलदार कोटडी से तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त आराजी नम्बर 1801/2 रकबा 0.01 बिस्वा आता चाह दर्ज होना अंकित किया है। आराजी नम्बर 1081/2 के नजदीक आराजी नम्बर 1529 गैर मुमकिन नाला होना अंकित किया है। उक्त कुई विद्युत कनेक्टेड होने का तथ्य भी अंकित किया है। उक्त कुई अगर सार्वजनिक है तो इस बारे में कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त कुई वर्ष 2002–2003 में पंचायत के द्वारा खुदवाई गई हो ऐसा भी कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. वादग्रस्त आता चाह/कुई आराजी नम्बर 1081 में स्थित है। आराजी नम्बर 1529 गैर मुमकिन नाला पास में स्थित है । परन्तु उक्त कुई आराजी नम्बर 1529 में स्थित नहीं होकर आराजी नम्बर 1081 का भू भाग होकर इसके आता चाह नम्बर 1081/2 रकबा 0.01 बिस्वा अपीलार्थीया के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर अपीलार्थीया के कब्जेकाश्त में है। यदि यह कुई नाले के पास स्थित है तो सर्वे टीम भिजवाई जाकर नपती कराई जावे। अपीलार्थीया ने अपने खातेदारी की आता चाह आराजी नम्बर 1081/2 रकबा 0.01 बिस्वा के लिए स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था। जिसे अपीलार्थीया/वादिया ने भलीभॉति साबित कराया है उसके बावजूद अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से वादिया का वाद पत्र खारिज किया गया है। जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे।

9. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 एवं 9 से 11 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पारोली ग्राम के वार्ड नम्बर 6

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रेगर बस्ती वालों की पेयजल की आवश्यकता अनुसार ग्राम पंचायत पारोली, पंचायत समिति कोटडी भीलवाडा द्वारा वित्तीय वर्ष 2002–2003 में खसरा नम्बर 1529 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा गैर मुमकिन नाला (खाल) बिलानाम में कुई खुदवाई । खसरा नम्बर 1529 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा गैर मुमकिन नाला (खाल) बिलानाम में ग्राम पंचायत पारोली, द्वारा खोदी गई परन्तु तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने त्रुटिवश राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज नहीं किया । खसरा नम्बर 1529 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा गैर मुमकिन नाला (खाल) में ग्राम पंचायत पारोली, पंचायत समिति कोटडी भीलवाडा द्वारा वित्तीय वर्ष 2002–2003 में कुई खोदी गई जिसके नजदीक आराजी नम्बर 1081/1 रकबा 6 बिस्वा स्थित था। आराजी नम्बर 1081/1 रकबा 6 बिस्वा में वास्तविकता में मौके पर कोई कुआ नहीं होते हुए भी तत्कालीन पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक पारोली ने खसरा नम्बर 1081/1 रकबा 6 बिस्वा के भू स्वामी को लाभ पहूँचाने की चेष्टा से खसरा नम्बर 1081/2 रकबा 1 बिस्वा नवीन आता चाह को असत्य, झूठ कपटपूर्वक रचित दस्तावेज तैयार करके खसरा नम्बर 1081/1 रकबा 6 बिस्वा के भू स्वामी लादी देवी पत्नि मोहन लाल रेगर से दिनांक 9.4.2013 को तत्कालीन तहसीलदार कोटडी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कराकर आराजी नम्बर 1081/2 रकबा 1 बिस्वा नवीन आता चाह का विलेख राजस्व अभिलेखों में अंकन करवा लिया जो असत्य था।

10. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण वादग्रस्त आता चाह 1081/2 रकबा 0.01 बिस्वा को ग्राम पंचायत द्वारा खोदी हुई मानते हुए अपीलार्थीया/वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को खारिज किया है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. प्रत्यर्थीगण ने तत्कालीन पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक के विरूद्ध गलत इन्द्राज कर दिये जाने की शिकायत की जिस पर पटवारी घनश्याम बारेठ हाल भू अभिलेख निरीक्षक तहसील माण्डलगढ के विरूद्ध सी सी ए नियम 16 में विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित है। जिला कलक्टर भीलवाडा ने अपने पत्रांक प 1 ख 18 (2) (15) भू अभिलेख/विजा/2016/66160 दिनांक 23.3.2017 से दोषी तत्कालीन पटवार को दिनांक 23.3.2017 को आरोप पत्र जारी किया जा चुका है। जिसके तहत पटवारी हल्का घनश्याम बारेठ ने प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर अंकित किया है कि खसरा नम्बर 1081/2 रकबा 0.01 बिस्वा वर्तमान में कोई कुआ स्थित नहीं है। खसरा नम्ब्र 1081/2 रकबा 0.01 बिस्वा के समीप ही खसरा नम्बर 1529 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा बिलानाम नाले में पूर्व में खोदी गई 1 सार्वजनिक कुई है उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि तत्कालीन पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक पारोली ने राजस्व रेकार्ड में गलत अंकन कर अपीलार्थीया को लाभ पहूँचाया था।

12. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में वादग्रस्त आता चाह 1081/2 रकबा 0.01 बिस्वा को किस्म बीड प्रथम के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया गया है। प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीया के पडौसियान नहीं है एवं न ही खातेदार काश्तकार हैं। सद्‌भावी वाद प्रस्तुत किया है, अतः जनहित में वादग्रस्त आता चाह जो नाला भूमि में है, तथा आराजी नम्बर 2081/2 रकबा 0.01 बिस्वा में स्थित नहीं होना भी राजस्व विभाग की रिपोर्ट से स्पष्ट है, को सार्वजनिक राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावे।

13. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थीया खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

14. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीया ने वादग्रस्त आता चाह 1081/2 रकबा 0.01 बिस्वा को स्वयं की खातेदारी अधिकारों की होना बताकर प्रत्यर्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया था। अपीलार्थीया का निवेदन है कि अपीलाधीन प्रकरण को निर्णय राजस्व लोक अदालत केम्प पाराली में किया गया है। जबकि अपीलार्थीया ने कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया है। राजस्व लोक अदालत में आपसी राजीनामा होने पर प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।

15. पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प पारोली में पारित किया गया है परन्तु उक्त प्रकरण का निस्तारण मेरिट के आधार पर किया गया है। अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि राजस्व लोक अदालत कैम्प में मेरिट पर निर्णय पारित किये जाने पर प्रतिबन्ध हो । अतः अपीलाधीन निर्णय मेरिट पर किये जाने से अपीलाण्ट का कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

16. अपीलार्थीया का निवेदन है कि वादग्रस्त आता चाह नम्बर 1081/2 रकबा 0.01 बिस्वा कुई उसके नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया । रिकार्ड से स्पष्ट होता है कि राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2072 से 2073 में वादग्रस्त आता चाह कुई अपीलार्थीया के नाम दर्ज है। भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11.3.2016 को मौका देखा गया एवं रिपार्ट तैयार की गई। उक्त रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि आराजी संख्या 1081/2 में किसी प्रकार का मोके पर कुआ नहीं है। रिपोर्ट व मौका पर्चा में बताया गया है कि उक्त कुई वादी लादी के खाते की भूमि में खुदी हुई नहीं है । पटवारी हल्का और तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2.5.2018 में भी कुई वादी की खातेदारी की आराजी नम्बर 1081/2 में नहीं होकर पास की आराजी नम्बर 1529 बिलानाम में खुदी हुई होना बताया गया है।

17. उभयपक्षकारान की बहस एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहूँचते हैं कि अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 9.4.2013 को नवीन चाह दर्ज कराने का आदेश प्राप्त कर आराजी नम्बर 1081/2 रकबा 0.01 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन आता चाह के रूप में दर्ज कराया गया है तथा वर्तमान में अपीलाण्ट अपनी भूमि पर काबिज है। विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि मौके पर स्थित चाह अपीलाण्ट की खातेदारी में है अथवा खातेदारी से बाहर है ? इस बाबत राजस्व कार्मिकगण द्वारा तैयार जांच रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि विवादित चाह खसरा नम्बर 1529 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा बिलानाम नाले में स्थित है। जो अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि से बाहर है। अपीलाण्ट/वादिया धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम केतहत वाद लेकरक आई है। जिसे साबित करने का भार अपीलाण्ट/वादिया पर था। अपीलाण्ट/वादिया रिकार्ड से अथवा साक्ष्य विवादित आता चिाह को स्वयं की खातेदारी भूमि में होना तथा स्वयं के कब्जे में होना साबित नहीं कर सकी है।

18. अपीलार्थीया अपनी अपील को को साक्ष्य, सबूत से साबित कराने में असफल रहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

19. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

डिक्री दिनांक 4.5.2018 को यथावत रखा जाता हैं। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

20. निर्णय आज दिनांक 29.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री हेमन्त स्वरूप माथुर ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए / 233 / 2018

उनवान

1. लादी देवी पत्नी मोहन लाल रेगर, निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. सुवा पिता छीतर रेगर, निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. राम लाल पिता मांगु रेगर, निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
3. दुर्गा पिता मांगु रेगर, निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
4. दुर्गा पिता नाथू रेगर, निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
5. रामकरण पिता नाराण रेगर, निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
6. भैरू पिता देवा रेगर, निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
7. श्रामनिवास पिता लक्ष्मण रेगर, निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
8. ळजारी पिता किशना रेगर, निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
9. छन पिता मांगु रेगर, निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
10. छोटू पिता मांगू रेगर, निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
11. सज्जन सिंह पिता भुर सिंह चारण निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
12. जिला कलक्टर , जिला कार्यालय भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

14 TA /233/2018 लादी बनाम सुवा

13.राजस्थान राज्य जरिय तहसीलदार कोटडी

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, कोटडी के प्रकरण संख्या 50/2016 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.5.2018

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/233/2018** मे **उपखण्ड अधिकारी, कोटडी** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित ड़िक्री जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 29.5.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री जे के जैन वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से श्री कमलेन्द्र सिंह एवं राजकीय अधिवक्ता की उपस्थिति मे दिनांक 29.5.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.5.2018 को यथावत रखा जाता हैं।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्धारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्धारा दिये जाने है।

आज दिनांक 29.5.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह ड़िक्री जारी की जाती है।

29/5/19

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस